प्रेस नोट
दिनांक 11.08.2026

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अपराधियों को सजा दिलाए जाने हेतु चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में पुलिस एवं अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 वर्ष पूर्व हुई युवती के हत्यारोपियों को माननीय न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास एवं रू 25,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 10/11.06.2024 की रात्रि राजेश शुक्ला पुत्र दुखहरण नि0 तुलसीपुर माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा डायल-112 पर सूचना दी गयी कि मुझे व मेरी बेटी को मेरे भाइयों ने मारा है व मारकर भाग गए हैं। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगणों द्वारा थाना स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा तत्काल घायल को अस्पताल पहुचाया गया जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया था। फील्ड यूनिट/डाॅग स्क्वायड को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी थी। मृतका के नाना बृजबिहारी मिश्र पुत्र गोकरन नाथ मिश्र नि0 खिरई खिरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे जिसके क्रम में दिनांक 12.06.2024 को थाना धानेपुर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना का अनावरण करते हुए घटना में शामिल 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. राजेश शुक्ला पुत्र दुखहरन नाथ शुक्ला, 02. किरन पत्नी राजेश शुक्ला को तुलसीरामपुरवा जाने वाली नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण ढंग से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 11.07.2024 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

हत्या का कारण
अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण की पुत्री श्वेता (मृतका) की मां का देहांत कई वर्ष पूर्व हो चुका था जिसके उपरांत उसने दूसरी शादी कर ली थी । मृतका अपने पिता व सौतेली मां के साथ रह रही थी । इसी दौरान राजेश शुक्ला का अपने भाईयों से पैतृक मकान/जमीन के बटवारें को लेकर विवाद होने के कारण उनको फंसाने के उद्देश्य से अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 10/11.06.2024 की रात्रि अपनी पुत्री श्वेता की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी तथा डायल-112 पर अपने भाईयों को फंसाने के उद्देश्य से झूठी सूचना दी थी ।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय द्वारा अपराधियों को सजा कराए जाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 12.08.2026 को थाना धानेपुर में पंजीकृत महिला हत्या संबंधित चिन्हित अपराध में जिला अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बसन्त शुक्ला व श्री विनय सिंह, थाना धानेपुर के पैरोकार का0 सूर्य प्रताप व कोर्ट मोहर्रिर मु०आ० मारकण्डेय सिंह के द्वारा की द्वारा गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गानारायण सिंह द्वारा अभियुक्तगण 01. राजेश शुक्ला, 02. किरन शुक्ला को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं रू 25,000 /- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियोग में समय से गवाही व प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

1. राजेश शुक्ला पुत्र दुखहरण नाथ शुक्ला (मृतका के पिता) नि0 तुलसीरामपुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

2. किरन पत्नी राजेश शुक्ला (मृतका की सौतेली मां) नि0 तुलसीरामपुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-174/24, धारा 302, 506 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।